न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारी– कुसुमलता चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 106 / 2024

वादी	बनाम	प्रतिवादी
1. ओम प्रकाश पुत्र हरीराम तंवर जाति माली निवासी पशु चिकित्सालय के पास, पुनिश पुरा सोजत सिटी		1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत जिला पाली

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित–

1. श्री पुनित दवे अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित
2. तहसीलदार सोजत उपस्थित

दिनांक – 23/08/2024

:– निर्णय :–

अधिवक्ता वादी ने राजस्व वाद विरूद्ध प्रतिवादी के पेश कर निवेदन किया कि सरहद मौजा बासनी तिलवाड़िया तह0 सोजत के ख.नं. 304, 326 रकबा क्रमश :– 2.24 है0, 0.94 है0 की कृषि भूमि आयी हुई स्थित है। वादग्रस्त कृषि भूमि वादी एवं वादी के भाई गणपतलाल की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि है। वादी को लाड प्यार से बचपन में लाला कहकर पुकारा जाता था। इस कारण वादी के पिता हरिराम का फौतेदगी नामा0 भरते समय वादी का नाम लालाराम राजस्व रेकर्ड में दर्ज कर दिया, जबकि वादी का सही नाम ओमप्रकाश है। राजस्व रेकर्ड में गलत नाम दर्ज होने से वादी को कई सरकारी योजनाओ से वंचित होना पड़ता है। इस कारण वाद विरूद्ध प्रतिवादी पेश कर सरहद मौजा बासनी तिलवाड़िया के ख.नं. 304 रकबा 2.24 है0 तथा ख.नं. 326 रकबा 0.94 है0 के राजस्व रेकर्ड मे वादी का नाम लालाराम के स्थान पर ओमप्रकाश दुरूस्त किये जाने की ईस्तदुआ की है।

इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार सोजत को पर्याप्त अवसर देने पर भी जवाब दावा पेश नही करने से जवाब का अवसर समाप्त कर जवाब दावा बंद किया गया। प्रकरण की वस्तुस्थिति रिपोर्ट तहसीलदार सोजत से चाही गई। तहसीलदार सोजत द्वारा पटवारी की मौका रिपोर्ट सहित जांच रिपोर्ट पेश की, जिसमें वादी का सही नाम ओमप्रकाश होने से राजस्व रेकर्ड मे लालाराम के स्थान पर ओमप्रकाश किये जाने की अनुशंषा की।

बहस अधिवक्ता वादी एवं तहसीलदार सोजत सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता वादी ने वादग्रस्थ कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में बचपन के नाम लालाराम के स्थान पर ओमप्रकाश पुत्र हरिराम दुरूस्त रूप से इन्द्राज किये जाने की ईस्तदुआ की है। जवाब बहस मे तहसीलदार सोजत द्वारा कोई आपत्ति नही होना व्यक्त किया है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत वाद, फहरिस्त मय दस्तावेजात एवं तहसीलदार सोजत की रिपोर्ट का अध्ययन कर बहस अधिवक्ता वादी एवं तहसीलदार सोजत पर गौर कर मनन किया। वस्तुतः अधिवक्ता वादी द्वारा प्रस्तुत फहरिस्त मय दस्तावेजात एवं तहसीलदार सोजत की रिपोर्ट

उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला-पाली

आधार पर वादी का वास्तविक सही नाम ओमप्रकाश होने की संपुष्टि होती है। लिहाजा वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादस्थ कृषि भूमि में दुरूस्त नाम इन्द्राज किये जाना न्यायोचित समझते हैं।

:: आदेश :-

अतः अधिवक्ता मय वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा बारानी तिलवाड़िया तह0 सोजत के ख.नं. 304, 326 रकबा क्रमश 2.24 है0, 0.94 है0 की कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम लालाराम के स्थान पर ओमप्रकाश पुत्र हरिराम दुरूस्त रूप से इन्द्राज किये जाने के आदेश तहसीलदार सोजत को दिये जाते हैं। डिक्री पर्चा मुर्तिब हो। तहसीलदार सोजत को उक्त निर्णय की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

यह निर्णय आज दिनांक 29/08/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत, जिला-पाली

(आ0 नियम 6-7 आज्ञा दीवानी)

डिकी बमुकददमें इब्तादाई

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

बइजलाश श्री कुसुमलता चौहान, आर.ए.एस.

वादी	बनाम	प्रतिवादी
1. ओम प्रकाश पुत्र हरीराम तंवर जाति माली निवासी पशु चिकित्सालय के पास, नृसिंह पुरा सोजत सिटी		1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत जिला पाली

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट0 1955 सपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956

राजस्व वाद संख्या :- 105/2024

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी श्री पुनीत दवे अधिवक्ता वादी तथा प्रतिवादी तहसीलदार, सोजत पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती है सरहद मौजा बासनी तिलवाडिया तह0 सोजत के ख.नं. 304, 326 रकबा कमश 2.24 है0, 0.94 है0 की कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम लालाराम के स्थान पर ओमप्रकाश पुत्र हरिराम दुरूस्त रूप से इन्द्राज किये जाने के आदेश तहसीलदार सोजत को दिये जाते हैं। तहसीलदार सोजत को इस आदेश की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

मीजान – मुबलिग – बाबत --

खर्चा इस मुकददमें के मय सूद व शरह शून्य फीसदी सालाना ब्याज की तारीख से तारीख वसूलवाली तक शून्य की अदा करें।

बशिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 29/07/24 को जारी की गई।

उप खण्ड अधिकारी • सोजत, जिला-पाली (राज.)

(कसमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला-पाली

मद्दई	रूपया	न.पै.	मुद्दायला	रूपया	न.पै.
स्टाम्प अरजीदावा	शून्य	शून्य	स्टाम्प वकलतनामा	शून्य	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य	शून्य
स्टाम्प वजह सबूत	शून्य	शून्य	महनताना वकल	शून्य	शून्य
महनताना वकील पर	शून्य	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य	बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य
बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य	मुतफर्रिक	शून्य	शून्य
मतफर्रिक	शून्य	शून्य			
मद्दई	रूपया	न.पै.	मुद्दायला	रूपया	न.पै.